



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-114/2021
दिनांक : 14.06.2021

कार्यालयादेश

राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या DMU/2020/CR.92/DisM-1 दिनांक 10.06.2021 के अनुसरण में जिलाधिकारी, वर्धा द्वारा जारी आदेश क्र.जिआव्यअ/कोरोना/कावि 1391/21 दिनांक 12.06.2021 के आलोक में विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय में स्थित सभी अकादमिक विभाग तथा प्रशासनिक कार्यालय आज दिनांक 14.06.2021 से 100% कर्मियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।

ऑनलाइन कक्षाएँ पूर्ववत जारी रहेगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
14/06/21

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली